

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड
मध्यप्रदेश
पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 597 / 2012
संस्थापित दिनांक 01 / 08 / 2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

1. रविन्द्र सिंह पुत्र रामस्वरूप सिसौदिया
उम्र—30साल
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र लेखराम सिसौदिया
उम्र—25साल
3. बलवीरसिंह पुत्र रामबाबू सिसौदिया
उम्र—20साल समस्त व्यवसाय खेती
निवासीगण ग्राम खडेर, जिला भिण्ड

..... अभियुक्तगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 30 / 10 / 14 को घोषित किया)

1. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323 / 34, 324 / 34 तथा 506 बी के अपराध के आरोप है कि दिनांक 17 / 07 / 12 के रात्रि 10.30 बजे ग्राम खडेर फरियादी के मकान के सामने आम रोड पर फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया व सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत कप्तान सिंह की लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की एवं सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी बेताल सिंह को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की एवं फरियादी एवं आहत को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान फरियादी व आहत का आरोपीगण से राजीनामा हो गया है ।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक

17/7/12 को फरियादी बेताल सिंह ने पुलिस थाना गोहद में मय घायल अपने चाचा कप्तान सिंह के साथ उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि उसके परिवार के रविन्द्र सिंह व देवेन्द्र सिंह केमकान सके बगल से बने है वह अपने दरवाजे के बाहर चारपाई डाले बैठा था तभी देवेन्द्र, बोले कि मादर चोद भौसडी वाले रास्ते में भैसे क्यों बांध देते हो उसने कहाकि हमारी जगह है गालियाँ क्यों दे रहो हो। इसी बात पर रविन्द्र ने उसके कुल्हाड़ी मारी जो माथे पर लगी खून निकल आया दूसरी लाठी उसके बाये हाथ की बाजू में लगी वह गिरपड़ा तो देवेन्द्र ने लाठी मारी जो उसके दोनो कंधो पर मे व पीठ में लगी वह चिल्लाया तो उसके चाचा कप्तान सिंह उसे बचाने आये त तक बलवीर लाठी लेकर आया चाचा के लाठी मारी जो उनके सिर मे लगी तब तक गाँव के साहब सिंह, आशाराम, आ गये। इन लोगों ने उसे बचाया तभी लोग कह रहे थे कि गांव छोड़कर चले जो नहीं तो जान से खत्म कर देगे।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क0 163/12 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं व फरियादी व आहत का मेडीकल परीक्षण कराया जाकर संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323/34, 324/34 तथा 506 बी के आरोपो की विरचना की गई आरोपीगण ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा।

6. प्रकरण में फरियादी, पक्ष द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीग को भा0द0वि0 की धारा 294, 323/34 तथा 506बी में दोषमुक्त किया गया जाकर आरोपीगण को भा.द.वि.की धारा 324/34 के अंतर्गत विचारण किया जा रहा है।

7. प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह हैकि:-

1. क्या आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी बेताल सिंह को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुँचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की?

सकारण निष्कर्ष

8. बेताल सिंह आ0सा02 का कहना हैकि लगभग 02 साल पहले शाम के 10:00 बजे के करीब मेरे ग्राम खडेर के मकान के सामने आम रोड पर तीनो आरोपीगण से मेरा झगडा हो गया था इन लोगों ने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी थी तथा झगडे मे मारपीट के दौरान गिर गया

जिससे मेरे शरीर में जगह-जगह चोटें आई थी आरोपीगण खाली हाथ थे किसी ने कुल्हाड़ी से मारपीट नहीं की थी उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी जो प्र0पी02 है जिसके एसेए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी03 है जिसके एसेए भागपर मेरे हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने किसी धारदार अथवा घातक हथियार से चोट पहुंचाये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी रविन्द्र ने उसे कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर उपहति कारित की थी साक्षी के कथनों से इस तथ्य का समर्थन नहीं होता है कि आरोपीगण ने धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर उपहति कारित की है।

9. कप्तानसिंह आ0सा03 यह साक्षी घटना में आहत साक्षी है इसका कहना है कि 02 साल पहले शाम 10:00 बजे के करीब ग्राम खडेर के मकान के सामने आम रोड पर तीनो आरोपीगण से उसका व उसके भतीजे बेताल सिंह का झगडा हो गया था जब उसे आवाज सुनाई दी तो वह पहुंचा तो देखा कि तीनो आरोपीगण बेतालसिंह को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं जब वह पहुंचा तो आरोपीगण गालियाँ देने व झगडा करने लगे झगडे मे गिर जाने से बेताल सिंह को चोट आई थी। फिर थाना गोहद में रिपोर्ट की थी साक्षी के द्वारा बेताल सिंह को किसी धारदार अथवा घातक हथियार से चोट पहुंचाये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी रविन्द्र ने बेताल सिंह को कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर उपहति कारित की हो।

10. आशाराम आ0सा01 यह साक्षी घटना का चक्षदर्शी साक्षी है साक्षी ने घटित घटना से अनभिज्ञता जाहिर की है साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन घटनाक्रम का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है साक्षी के कथनो से प्रथम सूचना रिपोर्ट व घटित अपराध का समर्थन नहीं होता है।

11. प्रकरण में फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता है कि फरियादी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है जिससे यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने आहत बेताल को कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर उपहति कारित की थी साक्षी के कथनो से धारदार हथियार से उपहति कारित होना प्रमाणित नहीं होता है।

12. अभियोजन मामले को प्रमाणित करने का भार अभियोजन साक्षी पर है। बेताल सिंह ने न्यायालयीन अभिलेख पर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति किये जाने की घटना से इंकार किया है। आहत के कथनों से घटना पूर्णतः अप्रमाणित पाई गई।

13. प्रकरण में आरोपीगण के आरोपित आरोप भा.द.वि. की धारा 324/34 पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये। शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है। अतः आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 324/34 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उनके जमानत मुचलके भारहीन होने से उनमोचित किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा दो बबूल की लकड़ी व एक कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात विनिष्ट की जावे।

15. प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

16. प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद

हस्ता0सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद